धारा 103 : अग्रिम विनिर्णय का लागू होना

(1) इस अध्याय के अधीन प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा उद्घोषित् अग्रिम विनिर्णय केवल निम्नलिखित पर बाध्यकर होगा,–

(क) उस आवेदक पर, जिसने अग्रिम विनिर्णय के लिए धारा 97 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में उसकी वांछा की थी;

(ख) आवेदक के संबंध में संबंधित अधिकारी या अधिकारिता रखने वाले अधिकारी पर।

[1]**[(1क)** राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा इस अध्याय अधीन सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय निम्नलिखित पर आबद्धकर होगा–

(क) आवेदक, जो सुभिन्न व्यक्ति हैं, जिन्होनें धारा 101ख की उपधारा (1) के अधीन विनिर्णय चाहा है और वे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका वही स्थायी खाता संख्यांक है (आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी किया गया);

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आवेदकों और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका आय–कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी किया गया समान स्थायी खाता संख्यांक है, की बाबत् संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी।**]**

(2) उपधारा (1) [2]**[**और उपधारा (1क)**]** में निर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णय तब तक बाध्यकर होगा जब तक कि मूल अग्रिम विनिर्णय की समर्थनकारी विधि, तथ्यों या परिस्थितियों में परिवर्तन न हो गया हो।

---

1 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा उपधारा (1क) अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

2 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।